

पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वि०ख०
पारों की कंडारस्यूं पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव
महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की
बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:-

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 2. डॉ० वी० षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3. श्री उदय राज सिंह, एम०डी०, जल निगम, उत्तराखण्ड।
 4. श्री एस०के० शर्मा, सी०जी०एम०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
 5. श्री के०के० रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
 6. श्री एस०सी० पन्त, सी०ई०(एच०क्यू०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 8. श्री डी०डी० डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 9. श्री संजय सिंह, एस०ई० उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।
1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- योजना के अन्तर्गत 14 ग्राम सभाओं के 30 राजस्व गांव के 47 तोकों में निवास करने वाले ग्रामीण आबादी को मानकों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति न हो पाने के कारण जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 Stage Pumping योजना गठित की गयी है एवं मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का निर्माण जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
 2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
 3. **योजना प्राविधान** :- पेयजल हेतु गुरुत्व आधारित जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पैटानी के पास पश्चिमी नयार नदी से पम्पिंग आधारित योजना प्रस्तावित की गयी है जिसमें निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये हैं :-
 - आर०सी०सी० Dry Intake Well - 01 संख्या।
 - 1.5 एम०एल०डी० क्षमता का Rapid Sand Gravity Filtration Plant
 - 1200 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 68 मीटर हैड 50 एच०पी० क्षमता के पम्प दो संख्या।
 - 1200 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 650 मीटर हैड 300 एच०पी० क्षमता के 08 संख्या पम्प।
 - 200 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 70 मीटर हैड, 10 एच०पी० क्षमता के 08 संख्या पम्प।
 - ट्रांसफार्मर - 400 के०बी०ए० - 01 संख्या।
 - पम्प हाउस - 01(11.00 मी० x 7.00 मी०)
 - Settling Tank - 15.00 x 9.00 x 3.45 मीटर साईज।
 - Clear Water Sunp - 200 के०ली० क्षमता - 01 संख्या।
 - Top Clear Water Reservoir - 600 कि०ली० क्षमता -01 संख्या।
 - Top Clear Reservoir at Village patuli - 150 कि०ली० क्षमता-01 संख्या।
 - Service Reservoir -Existing 21 No., New Proposed 17 No.।
 - राईजिंग मेन -150 एम०एम० व्यास डी०आई०-K-9 पाईप - 37 मीटर लम्बाई।
 - MSERW Pipe 150 mm dia 4.40 mm thick - 1600 mtr.
 - MSERW Pipe 150 mm dia 5.60 mm thick - 1900 mtr.
 - API X-65 Pipe 150 mm dia 5.60 mm thick - 4000 mtr.
 - Total Rising Main - 7500 mtr.**

Gant

- Supply Main – GI Pipe 20 mm dia to 100 mm dia - 24,951 mtr.
- Distribution System – GI pipe 20 mm to 65 mm dia - 31,455 mtr.

4. व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :-

- 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2021 को सम्पन्न हुई।
- 4.2 योजना के अन्तर्गत कुल 2100 हाउस होल्ड है जिनके सापेक्ष 1700 FHTC प्रदान किये जाने है।
- 4.3 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।
- 4.4 योजना के सम्बन्ध में जल स्रोत के Source Finding Report योजना में सम्मिलित की गयी है।
- 4.5 पेयजल आपूर्ति का मानक शत-प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 + 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है। स्कूल, आंगनवाडी गुरुद्वारा, मन्दिर, मजिस्द, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी समिति मजार, अस्पताल के लिए 45 एल0पी0सी0डी0 के अनुसार पेयजल की गणना की गयी है।
- 4.6 योजना का डिजाइन अवधि 30 वर्ष तक की ली गयी है। आधार वर्ष 2023 तथा डिजाइन वर्ष 2053 रखा गया है।
- 4.7 योजना में जनसंख्या की गणना आधार वर्ष 2023 में 11,170 एवं डिजाइन वर्ष 2053 में 14,747 की गयी है, उक्त के अनुसार पेयजल की मांग आधार वर्ष में 1014 के0एल0डी0 एवं डिजाइन वर्ष 2052 में 1463 के0एल0डी0 आकलित की गयी है।
- 4.8 योजना की प्रति FHTC लागत आधार वर्ष 2023 रू0 1,09,292 एवं डिजाइन वर्ष में रू0 63,003 आकलित किया गया है तथा प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2023 में रू0 16,634 एवं डिजाइन वर्ष 2053 में रू0 12,599 आंकलित की गयी है।
- 4.9 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2023 में रू0 257.20 लाख की हानि एवं डिजाइन वर्ष में रू0 300.42 लाख की हानि आकलित की गयी है। इस प्रकार योजना वित्तीय रूप से अलाभकारी है।
- 4.10 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	Amount				Community Contribution	Total Amount (in Rs.)
		JJM	Schedule	Non Schedule	Convergence Cost		
1	Cost of Water Supply Works	1851.59	1331.37	520.22		6.39	1857.98
2	Cost of Grey Water Mangement				140.33		140.33
3	Cost of CACMP work				37.62		37.62
4	Cost of Cattle Trough				28.64		28.64
	Total Work Cost	1851.59	1331.37	520.22	206.59	6.39	2064.57

JJM Cost - Rs 1851.59 lakh

Convergence Cost - Rs 206.59 lakh

Community Contribution - Rs 6.39 lakh

परियोजना की कुल लागत :- रू0 2064.57 लाख

- 4.11 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 185.22 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की लागत रू0 1851.59 लाख, Convergence कार्यों की लागत रू0 206.59 लाख एवं Community Contribution मद में लागत रू0 6.39 लाख है।

क्रमशः पृष्ठ-3/-

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-


प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.10 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 2064.57 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-


- 5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणनों का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेंगे।
- 5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकड़ों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।
- 5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।
- 5.4 योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
- 5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।
- 5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।
- 5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।


व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों पर शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।



अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।




(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव


उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1138/745/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021-22

देहरादून: दिनांक: 16, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।


(डॉ० वी० षण्मुमम)
सचिव (प्रभारी)